


०१/१३



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 266965



न्यास विलेख (Instrument of Trust)

"शान्ति जनसेवा संस्थान"

दिनांक 02/01/2013

यह न्यास विलेख सचिवानन्द राय पुत्र स्व० चन्द्रबली राय, ग्राम—अमौड़ा, पोस्ट—पन्दहाँ, तहसील—लालगंज, जिला—आजमगढ़ उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया है। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ—साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाजमें सुख शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई—चारा, साम्प्रदायिकता ताल—मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग—भेद, जाति—पाति, छुआ—छुत, ऊँच—नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की बावत 2000/- (दो हजार रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल—अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "शान्ति जनसेवा संस्थान" पत्र में आगे "संस्थान" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

८८८-१०८२१५



क्रमांक: 2

934 सीमत 900 रुपये २१९१ ९३५८
साल संस्थित दाता राम कुमार वर्ष २०२० दो-५९ लाख २१५
दाम दोस्री बाट बेटों पर महावाड
पंचांग चालना ६

21020314

300 JOURNAL OF CLIMATE

4

~~24/3/1984~~
2000/-

100/- + 20/- + 20/- = 140/- 3200

स्वास्थ्यविभाग राज
क्षेत्रीय
वर्षा-दृश्यता प्रग
02-01-13

३७० - ८८९८८
असींस)

२० शिला आजमग्ध में

3/4

~~अ विद्यां तदुपर्य~~

~~021113~~

Cham

୨୭ ଶୁଦ୍ଧିକାରୀ ଦୂର ପରିମାଣ ଅଧିକାରୀ ପାଇଲ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରିମାଣ ଅଧିକାରୀ
ଲାଲଗାନ୍ଧୀ ଡାକ୍ ଟିକ୍ ପାଇଲ

अशोकनामास्त्रिय
सद्विषय
धर्मोत्तम

২৩১২০৮১৭

G R A M - T E G Y

Signature

~~R.P.S.~~
C.R.B. 21/11/13
~~Amrit~~
Rishabh Patel 9.7

କାନ୍ତି କାନ୍ତି କାନ୍ତି (LX)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 266966

(2)

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय ग्राम -अमौड़ा, पोस्ट- पन्दहाँ, जिला-आजमगढ़ होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पांतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकुर के संस्थापक व मुख्य द्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 1 या 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य द्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/द्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।
 1. श्री दीपक पुत्र सचिवदानन्द, ग्राम -अमौड़ा, पो० - पन्दहाँ, जिला- आजमगढ़।
 2. श्री राजन पुत्र सचिवदानन्द, ग्राम -अमौड़ा, पो० - पन्दहाँ, जिला- आजमगढ़।
 3. श्री आलोक पुत्र सचिवदानन्द, ग्राम -अमौड़ा, पो० - पन्दहाँ, जिला- आजमगढ़।
 4. श्री सूरज प्रकाश पुत्र सचिवदानन्द, ग्राम -अमौड़ा, पो० - पन्दहाँ, जिला- आजमगढ़।
 5. श्री सत्यम पुत्र सचिवदानन्द, ग्राम -अमौड़ा, पो० - पन्दहाँ, जिला- आजमगढ़।
4. यह कि हम मुकिर द्वारा "शान्ती, जनसेवा संस्थान" / द्रस्ट के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।
 1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना व "शान्ती जनसेवा संस्थान" / द्रस्ट के समस्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना।
 2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार - प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
 3. नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू०हा०स्कूल, हा०० स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, टेक्निकल कालेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
 4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं


क्रमशः...3

५२-८९-१०१५

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

BF 266967

- व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलोजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के समुदायिक विकास को परस्पर भाई-चारा, सम्प्रदायिक ताल-मैल, राष्ट्रभवित, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति बफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
 6. न्याय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावलीयके अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमादित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
 7. लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआ-छूत, ऊँच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्व/लिंगेचर आदि की व्यवस्था करना।
 8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भीक्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
 9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
 10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मेडिकल, इंजीनियर, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी क्रूं लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मसी, मेडिकल काले एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।
 11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
 12. अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
 13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे-सिलाई, कढाई, बनुई, पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैन,डीजल एवं मोटर मकेनिक,रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्ट हैण्ड , कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे-केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष,पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष,छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात,खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
 14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे - जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
 15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे-हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथ विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

क्रमशः...4

लिंगेचर-१८२५

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

BF 266968

16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे—गुरु, बहरे, अंधों, अपांग एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग / गरीब बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।
19. महिला संरक्षण गृह / विधावा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, औंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फलोरी कल्प) सुगम्य हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था की उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे — यूनिसेफ, आईओसीओएस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित / जागरूक / प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पान मसाला, गांजा, भांग, स्मैक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाले बीमारियों के प्रति सर्वकरना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क क्रमशः...5

ल०८८९१-१२१५





(5)

20AA 409715

चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे—अन्धविश्वास, बाल—विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति—प्रति एवं छुआ—छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहर या आक्रमण / यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
30. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना—विभिन्न त्योहारों जैसे—होली, दीपावली, दशहरा, मुर्हरम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे—शादी, गवना, सालगिर, जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा, जिमारिट्क, जूँड़ी—कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, जागरूकता / प्रशिक्षण / कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।
33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या बृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता / प्रशिक्षण दवा / कीट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ—साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
34. एड्स, कैन्सर, टी०वी०, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकी / पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झूगी—झोपड़ी एवं मलिन वस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।
36. सरकारी कार्यक्रमों जैसे, ढूड़ा एवं सूड़ा को संचालित करना।
37. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, खण्डजा, पीच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।
38. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये—नये वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कराना तथा नये—नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का

क्रमशः...6

५८८५-२०१५





(6)

73AB-121134

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें जायत मूल्य पर दिलाना। तिलहन-दलहन तथा कृषि बागावानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

३९४ वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लागा को अवगत करना।

40 बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण का विकासित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41 जल, वायु, मृदा एवं धनि प्रदूषण की जानकारी / नियंत्रण / उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं का जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

प्राकृतिक आपदा जैसे—हैंजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, यक्रवात, भूकम्प, दुघटना का दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँव व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहिचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना समिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

प्रतिबन्धित पशुओं को रहने वाली जगत् की समस्या का एक अविवादित हिस्सा है। इनकी सुरक्षा एवं उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना / गो वंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जखी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, अस्थाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/बैंक की व्यवस्था करना।

उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एनोजीओ के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46 पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा उपाय करना।

किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

73AB 121133

49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाकयूमेन्टरी एवं नुकड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एनोजीओ, एसोसियेशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

51. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्मिलित हैं।

52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

54. सरकारी, अद्वैतसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

55. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

56. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामिन् सदस्य होगा।

57. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उठप्रमाणाध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

58. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्यूकेशन नई दिल्ली कौसिल फार इण्डियन रक्कूल सर्टिफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

59. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

60. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

61. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

62. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

63. उपरोक्त नियम/प्रतिबन्ध क्र०सं० 55 से 62 तक में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/

એર્પ્રેસ ડિ-સર્વિસ

क्रमांक: ८

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)


73AB 121132

संशोधन नहीं किया जायेगा।

न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- समान उददेश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
- न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।
- न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियां को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
- न्यास के अधीन स्थातिप संस्थाओं व समितियों की सदस्यस्ता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयाँ गठित करना।
- न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
- न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था द्रष्ट में निहित करना।
- न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
- न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, विभागों में दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
- न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यों को करना।
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परानातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थातिप शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रसाशन योजना कर तैयार सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।
- न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था:-

५८८९१-१८१५



क्रमांक: 9

भारतीय नौर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

73AB 121131

- (क) न्यास का गठन एवं सचालन— न्यास का गठन एवं सचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।
- न्यायके मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम सुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाय तो न्यास के शेष न्यासियों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।
 - मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित द्रस्टी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
 - न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।
 - न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितेषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदरय के नाम पर विचार किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नहीं होगा।
 - न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितेषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास

क्रमांक: 10

५८८१-८१



आरबीय और स्थानिक

दस
रूपर्ये

५ 10

**TEN
RUPEES**

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

73AB 121130

6. मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसारी प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) **न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:-**

 1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।
 2. उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपनात् बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
 7. **मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य:-**

इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

न्यास से सम्बन्धित प्रयोक्त प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखावाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।

न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्यतार नियुक्त करना।

इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

73AB 121153

न्यास के वापिक बैठक की अध्यक्षता करना।

न्यास का आय-व्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण करना।

न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

न्यास के कोष की व्यवस्था:-

न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ व क्रण राशियाँ निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

न्यास के अभिलेख:-

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था:-

न्यासी जिसे की मुख्य न्यासी उचित समझें अधिकिस्त होंगे।

यहकि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेंगा। या बेच सकेंगा।

यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

न्यास की आय-व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी बैंधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

भारतीय नौसंघायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

73AB 121137

- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल वहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा। अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति की लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावजूद भी यह शर्त लागू होगे।

घोषणा-पत्र

“शान्ती जनसेवा संस्थान” की तरफ से हम सचिवालय मुख्य न्यासी के रूप में हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वरूप मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर इस न्यास पत्र को निवधन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. नाम : गिरजा शंकर सिंह अद्यारामश
पता : सारेन्द्र बाबू चन्द्रलाल तुट्टूदो लालांगा
माजगढ़
2. नाम : ऊर्जा कुमार पुन श्वामनरंथन
पता : गुरुदोल भट्टूको कल्लो जिला ऊर्जमगढ़

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

गिरजा शंकर सिंह

मसविद्यकर्ता
२१५ दिवाली १९७१

टकणकर्ता : राधेश्वर मान

~~938~~
~~99~~

901 2191 938
938
9

২১ জানুয়ারি

4 51
02-01-13

65-
88
G1

RBB

